


अभिलेख उपस्थापित। पूर्व में उक्त विवादित भूमि आवेदिका के द्वारा 11½ डी0 पट्टा में प्राप्त बताया गया है। उसके ठीक सामने विपक्षी सुनिल कुमार मेहता के द्वारा पक्का मकान बनाया गया है, जिसमें सभी परिवार रह रहे हैं। इस बीच उक्त खाता 96 की कुल भूमि पर श्री नारायण सिंह पिता रघुवर नारायण सिंह वो हरदीप सिंह पिता नारायण सिंह वो केशव नारायण सिंह पिता नारायण सिंह के द्वारा दावा किया जा रहा है कि CMI के नाम से खतियान में दर्ज भूमि गलत है। उक्त भूमि उनके अनुसार पूर्व में ही केवाला सं0 331/1931 दिनांक 25.02.1931 के माध्यम से F.E क्रिसचन के द्वारा 113.80 एकड़ भूमि बहादुर दिलीप नारायण सिंह को हासील है जिसमें उनके अनुसार प्रश्नगत भूमि भी शामिल है। इस संबंध में लीगल नोटिस भी भेजा गया है। इस प्रकार भूमि को लेकर विभिन्न पक्षों के बीच न्यायिक विवाद है, जो शिविल न्यायालय से संबंधित है।

अतः वाद की कार्रवाई सम्प्राप्त की जाती है।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,
डोमचांच।


07/01/04
अंचल अधिकारी,
डोमचांच।